

अशासकीय पत्र सं०-1/शा०/59/2023-1/50/2023
लखनऊ दिनांक ०९ नवम्बर, 2023

आवंटन

अनुदान सं०-14

तेरह अंकों का कोड-2515001960500

2515001980500

आहरण एवं वितरण अधिकारी/
उपनिदेशक (प०)
पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र०।

कृपया अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3 उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-1/425506/2023-33-3002/15/2023-3 दिनांक 09.11.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं हेतु प्राविधानित धनराशि रु० 7466.00 करोड़ के सापेक्ष अनटाइड फण्ड की प्रथम किश्त की धनराशि रु० 107234.71 लाख (रु० दस अरब बाहत्तर करोड़ चौतीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की अवमुक्त/स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है कि उ०प्र० प्रदेश सरकार को धनराशि प्राप्ति के 10 कार्य दिवस के अन्दर पंचायती राज संस्थाओं यथा ग्राम पंचायतों तथा जिला पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया जाये-

1. आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय 15वें वित्त आयोग की धनराशि के उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं०-30/2020/1594/33-3-2020-33/2020 दिनांक 29.09.2020 व अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।
3. पंचायतीराज संस्थाओं हेतु आवंटित की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में आहरण-वितरण अधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
4. कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे पंचायतीराज संस्थाओं के खाते में जमा की जायेगी। उक्त प्रक्रिया पी०एफ०एम०एस० के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।
5. नोडल अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायतीराज संस्थाओं का बैंक खाता, आई०एफ०एस०सी० कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।
6. धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित पंचायतीराज अनुभाग-3 उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।
7. आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
8. उक्तानुसार वित्तीय आवंटित धनराशि को निर्गत करने के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिये यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण वितरण अधिकारी/नोडल अधिकारी का होगा।

9. उक्त वित्तीय आवंटन जारी करने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
10. शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-4/2018/आर0जी0-1021/ दस/2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
11. वित्तीय आवंटन का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के ऊपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होने का दायित्व आहरण वितरण अधिकारी/नोडल अधिकारी का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।
12. पंचायती राज संस्थाओं हेतु भारत सरकार से अवमुक्त प्रथम किश्त की अनटाइड ग्रांट की कुल धनराशि रू0 107234.71 लाख को निम्नानुसार संलग्न फाण्ट के अनुसार उपरोक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है—

क्र0सं0	पंचायती राज संस्थायें	धनराशि रुपये में—
1.	जिला पंचायत	30,18,80,000
2.	ग्राम पंचायत	10,42,15,91,000
	योग	10,72,34,71,000

(धनराशि रू0 में)			
क्र0सं0	पंचायती राज संस्थाओं का नाम	लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि
1	2	3	4
1	जिला पंचायत	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-196- जिला परिषदों/जिला स्तरीय संस्थाओं को सहायता-05-15वां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	30,18,80,000 /—
2	ग्राम पंचायत	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-198- ग्राम पंचायतों को सहायता-05-15वां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान-20- सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	10,42,15,91,000 /—
	योग		10,72,34,71,000

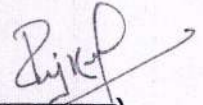
(रू0 दस अरब बाहत्तर करोड़ चौंतीस लाख इकहत्तर हजार मात्र)

2-उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में आय-व्ययक के अनुदान सं0-14 में पंचायती राज संस्थाओं (कॉलम सं0-2) के सम्मुख कॉलम सं0-3 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा।

(Handwritten Signature)

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन पंजिका के पृष्ठ सं०-20 पर अंकित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

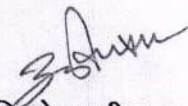

(राजकुमार)

निदेशक,
पंचायतीराज उ०प्र०।

संख्या-1/शा०/59/1/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 09.11.2023 के क्रम में।
2. प्रधान महालेखाकार, प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
7. उप निदेशक(पं०)/नोडल अधिकारी, 15वां वित्त आयोग, पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशिका के अनुसार आहरित धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों तथा जिला पंचायतों के खातों में समयान्तर्गत हस्तान्तरित कराना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य अभियन्ता, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ०प्र०।
9. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं०), उ०प्र०।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।
11. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उ०प्र०।
12. एस०पी०एम०यू०, पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


(अमितोष श्रीवास्तव)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज उ०प्र०।